

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम —	पेंशन योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	ऐसे निर्माण श्रमिकों जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई हो और लगातार 3 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हो, को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी पेंशन योजना में लाभार्थी न हो। (राज्य कर्मचारी बीमा निगम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत प्राप्त हो रही किसी पेंशन को छोड़कर)
4	पात्रता की अर्हता—	ऐसे निर्माण श्रमिकों जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई हो और लगातार 3 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे हों
5	आवेदन की प्रक्रिया—	लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के 3 माह पूर्व अपने स्थायी निवास के जनपद में अपना आवेदन/पेंशन प्रार्थना पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय/तहसील/विकास खण्ड में प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु यदि उसके उपरान्त भी आवेदन करता है तो विलम्ब से छूट देने का अधिकार स्वीकृतिकर्ता समिति को होगा।
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।